Prepared By:-

Under the guidance of Hon'ble
Mr. Justice N.K. Jain.
(Former Chief justice of Madras
and
Karnataka High Court)

Jigyasa Priya,
BBA.LLB. (2nd Sem)
KIIT Law School
Bhubaneswar,Odisha

Radhika Sisodiya
BA.LLB. (2nd Sem)
KIIT Law School
Bhubaneswar,Odisha

Subhashree Sen
BA.LLB. (2nd Sem)
KIIT Law School
Bhubaneswar,Odisha

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR

Projects by Law Students

Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Under the guidance of Hon'ble Mr. Justice N.K. Jain.
(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
Chairperson, RSHRC

SECRETARIAT

Prepared by:- Internship students of various law university and colleges.

HUMAN RIGHTS COMMISSION

- **Human Rights Commission is an autonomous body to protect and promote basic rights of citizens. Its primary aim is to help every deprived person to acquire equal status in society.**

- **By the Parliamentary act there is National Human Rights Commission at New Delhi and each state has State Human Rights Commission. This commission has power equivalent to a civil court. It has equivalent power to hear the plea of sufferer and give recommendation to concerned department to work on it. Its recommendation has a high stake and non performance on its recommendation can lead to questioning in the Legislative Assembly. Otherwise the government has to give reason for not compliance. The commission or the other party can file writ petition in the High Court.**

Hon'ble Chairperson and Members Of Rajasthan State Human Rights Commission are: From 06-07-2005

Justice N K Jain,
(Chairperson)

Members:-

- Justice Jagat Singh
- Shri D.S.Meena
- Shri Pukhraj Seervi

Hon'ble Chief *Minister Shri Ashok Gehlot*

CUSTODIAL VIOLENCE IN POLICE
CUSTODY

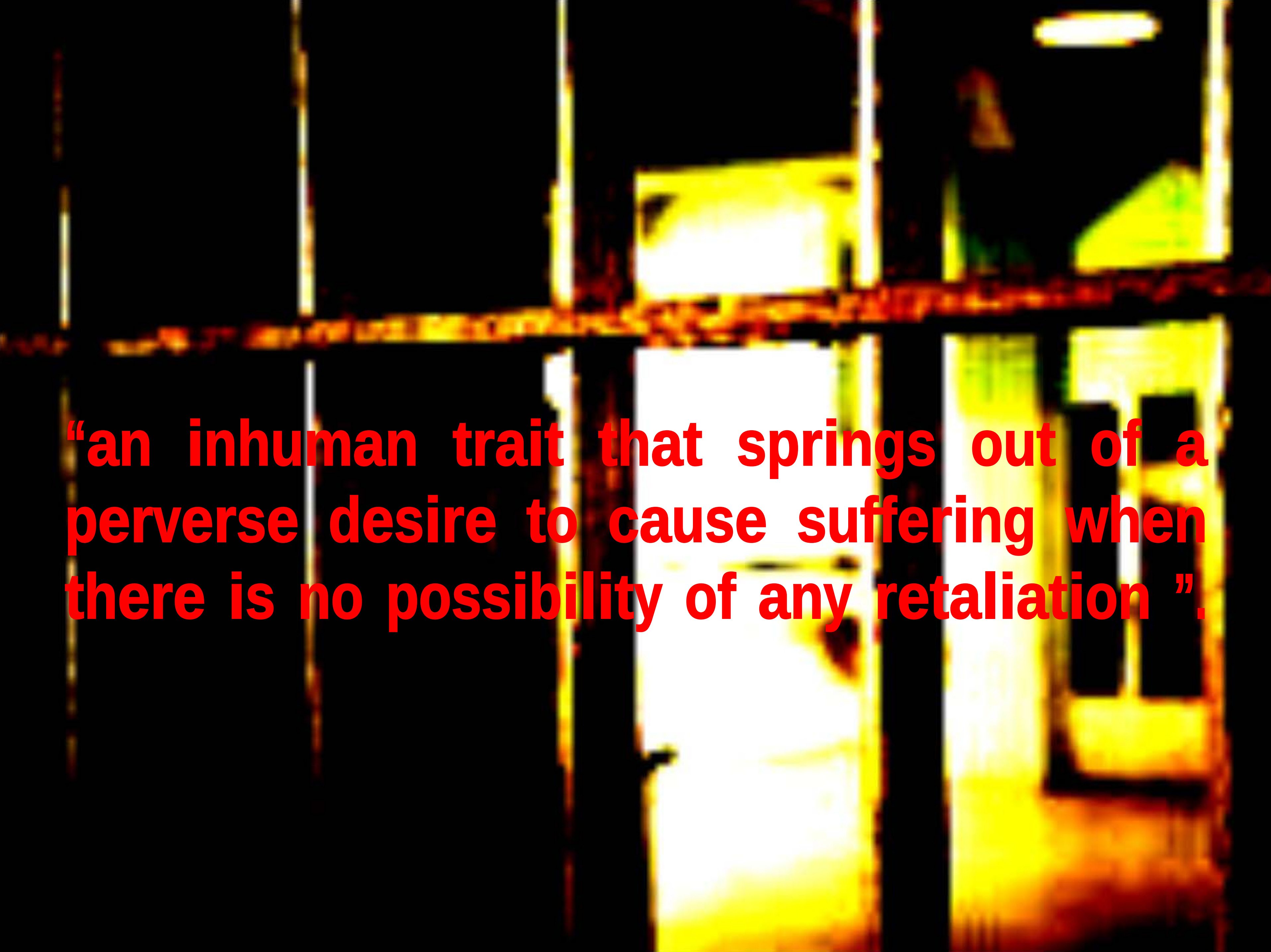

“an inhuman trait that springs out of a perverse desire to cause suffering when there is no possibility of any retaliation ”.

Introduction

- Custodial Violence is a dark reality in our democratic country governed by "rule of law".
- In a democratic society, the police have the predominant role of protecting the rights of citizens as enshrined in the constitution.
- But it is well known that they systematically violate their powers and employ torture as part of their investigation process. The poor , the deprived classes, women & political activists are the worst victims of police highhandedness.
- The police constitute major party in the administration of criminal justice, & it's with them that the average man first comes into contract when wronged.
- The main reason why torture continues to be practiced on such a wide scale throughout India is that the police feel themselves to be immune, they are confident enough that they will not be held accountable, even if they kill the victim & even if the truth is revealed.

"an instrument to impose the will of the strong over the weak by suffering".

- **Four main aspects of violence:-**

➢ **Torture- (a) mental**
(b) physical

➢ **Sexual Harassment**

➢ **Rape**

➢ **Death**

1. TORTURE

"Torture in custody flouts the basic rights of the citizens and is an affront to human dignity".

- It is one of the worst crime in the society, governed by the rule of law and imposes a serious threat to an orderly civilized society.
- It is a naked violation of human dignity and degradation which destroys, to a very large extent, the individual personality.
- In all custodial crimes what is of real concern is not only the infliction of body pain but the mental agony which a person undergoes within the four walls of police lock-up. It is the real face of torture.

2. SEXUAL HARASSMENT

“Hammering upon one’s personal dignity and self respect”.

- *Sexually abusive behavior of police officers towards the prisoners is a matter of deep concern.*
- *Prison officials treat prisoners as their pawn.*
- *They think that prisoners are the domestic servants and female prisoners are subject to satisfy their physical desire, therefore for accomplishment of this purpose they are sent to brothels.*
- *At times when they deny to perform these tasks then the real picture of sexual harassment could be easily seen on the stage of reality.*

3. RAPE

“A broader pattern of custodial abuse”.

- ***It is committed under the shield of uniform and authority within the four walls of a police station, the victim being totally helpless.***

- ***Rape by police, including custodial rape, is very common. A higher incidence of abuse appeared credible, given other evidence of abusive behavior by police and the likelihood that many rapes were unreported due to a sense of shame and a fear of retribution among victims.***

4. DEATH

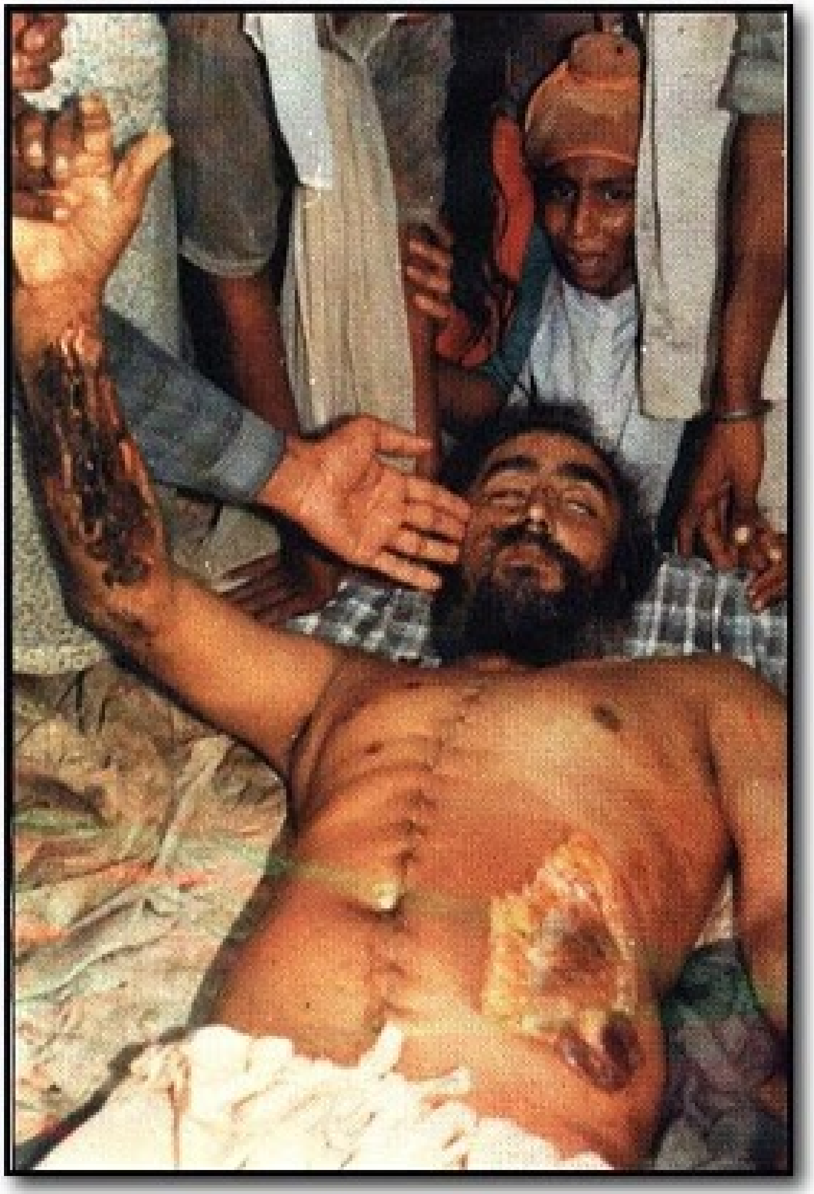

- The Government of India allows torture, so inflicted in police lock-ups, considering it necessary for the administration of justice while providing impunity to the law enforcement officers.

- Incarcerational barbarity has been validated by the popular retributive- deterrent philosophy, this is current sentencing coin in many criminal jurisdictions.

- Custodial violence, including torture and death in the lock ups, strikes a blow at the Rule of Law, which demands that the powers of the executive should not only be derived from law but also that the same should be limited by law.

PRISONER' S RIGHTS

ICCPR

***ARTICLE 10 (1)*:-** **All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.**

- ***MENAKA GANDHI V. UNION OF INDIA***

***ARTICLE 10,2(1)*:-** **Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvinced persons**

- ***SUNIL BATRA V. DELHI ADMINISTRATION***

Cont....

ARTICLE 14:- ***" Right to speedy trial"***

all persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent independent and impartial tribunal established by law .

ARTICLE 14, 3(4):- **it provides free legal aid to the prisoners**

- ***KHATRI V. STATE OF BIHAR……*** **It was the duty of a trial court to inform the accused that he is entitled to free legal aid service or a lawyer of his choice.**

Cont....

ARTICLE 9(5):- ***"RIGHT TO COMPENSATION"***

For Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation

- **RUDAL SHAH V. STATE OF BIHAR**

ARTICLE 19(1):- ***" FREEDOM OF SPEECH AND EXPRESSION"***

- **O RAJ GOPAL V. STATE OF TAMIL NADU**

"RIGHT TO HEALTH"

- **VEENA SETHI V. STATE OF BIHAR**

CONSTITUTIONAL PROVISIONS

- **Article 19(1) (a)**

Article 19(1) (a) provides for freedom of speech and expressions.

- **Freedom of thought and expression is one of the important political freedoms guaranteed by Article 19(1) (a) of the Constitution. As a Fundamental Right it remains with the Prisoners Rights.**

O.RAJ GOPAL v. STATE OF TAMIL NADU (Autoshankar case)

There was a serial killer with the stone in the prison and he wanted to write certain articles to papers as a series about relationship/support/expose criminals and police. Held that though is a prisoner freedom of speech and expression is available to him as following above decision too.

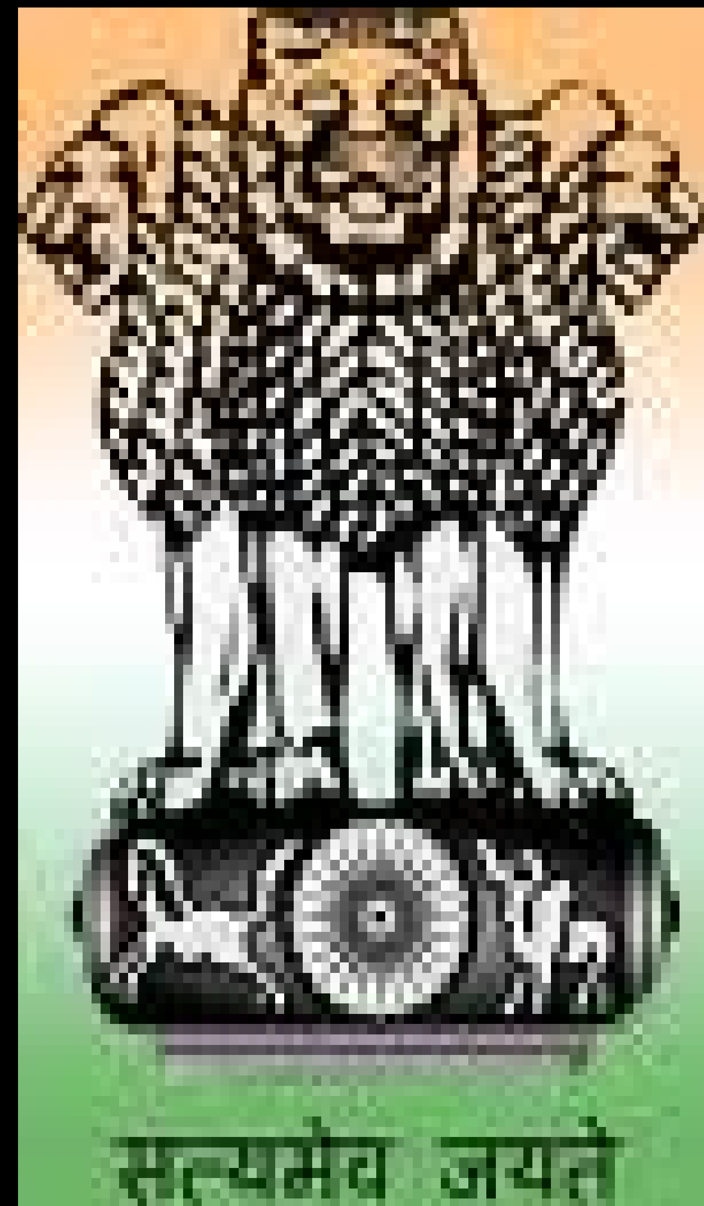

Article 20(1)

It prohibits Conviction or greater sentence for an offence under ex post facto criminal laws.

Article 20(2)

Embodies the principal of 'double jeopardy', that is, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.

Article 20(3)

Provide for important safeguards to the under trials that the jail authorities or police authorities cannot compel the prisoners to give testimony which is likely to expose them for criminal consequences.

Article 21

Article 21 provides no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Our Constitution has guaranteed certain rights and safeguards which the State should uphold for every citizen of the sovereign India. Some basic rights reads as under out of which article 21 of the Constitution is most luminary provisions in the Constitution and is a part of the scheme for fundamental rights, occupies a place of pride in the constitution.

Right to speed trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment are some of the rights which come under the purview of the Article 21.

Article 22

Article 22 provides for protection against arrest and detention in certain cases.

Article 22 deals with the right of a person who is arrested and procedures for preventive detention. No person can be detained without being informed of the reasons of his arrest.

- *Right to be informed as soon as may be of the grounds of arrest;*
- *Right of freedom to consult and to be represented by a lawyer of his own choice.(Article 22(1));*
- *Right to be produced before a Magistrate within 24 hours of arrest and detention beyond the said period only on the order of the Magistrate. The 24 hours do not include the time taken for the journey from the place of arrest to the magistrate;*
- *Free legal aid is provided to those who cannot afford the same.*

Article 25(1)

Article 25(1) provides for freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. This right to religion can be equally enjoyed by the prisoner also.

Article 39(A)

Article 39(A) is a Directive Principle of State Policy and grants equal justice and free legal aid. It deals with providing free legal aid to disabled categories and women are among them.

Custodial Violence in India 2010

- The report shows that taking 2000-2001 as the base year, custodial deaths have increased by 41.66% persons under the United Progressive Alliance(UPA) government between 2004-2005 and 2007-2008. This includes 70.72%increase of deaths in prison custody and 12.60% increase of deaths in police custody.

- “It is the ‘aam aadmi’ (common people) who are the majority victims of torture and other inhuman and degrading treatment.

- Among the torture cases in 2009, “Torture in India 2010” highlighted the torture of American journalist Joel Elliot by the Delhi Police in the early morning of 6 October 2009. Based on the statement and photographic evidence, the Asian Centre for Human Rights filed a complaint with the National Human Rights Commission of India on 12 October 2009 among others demanding prosecution of the guilty and award of compensation of US$500,000 to Joel Elliot.

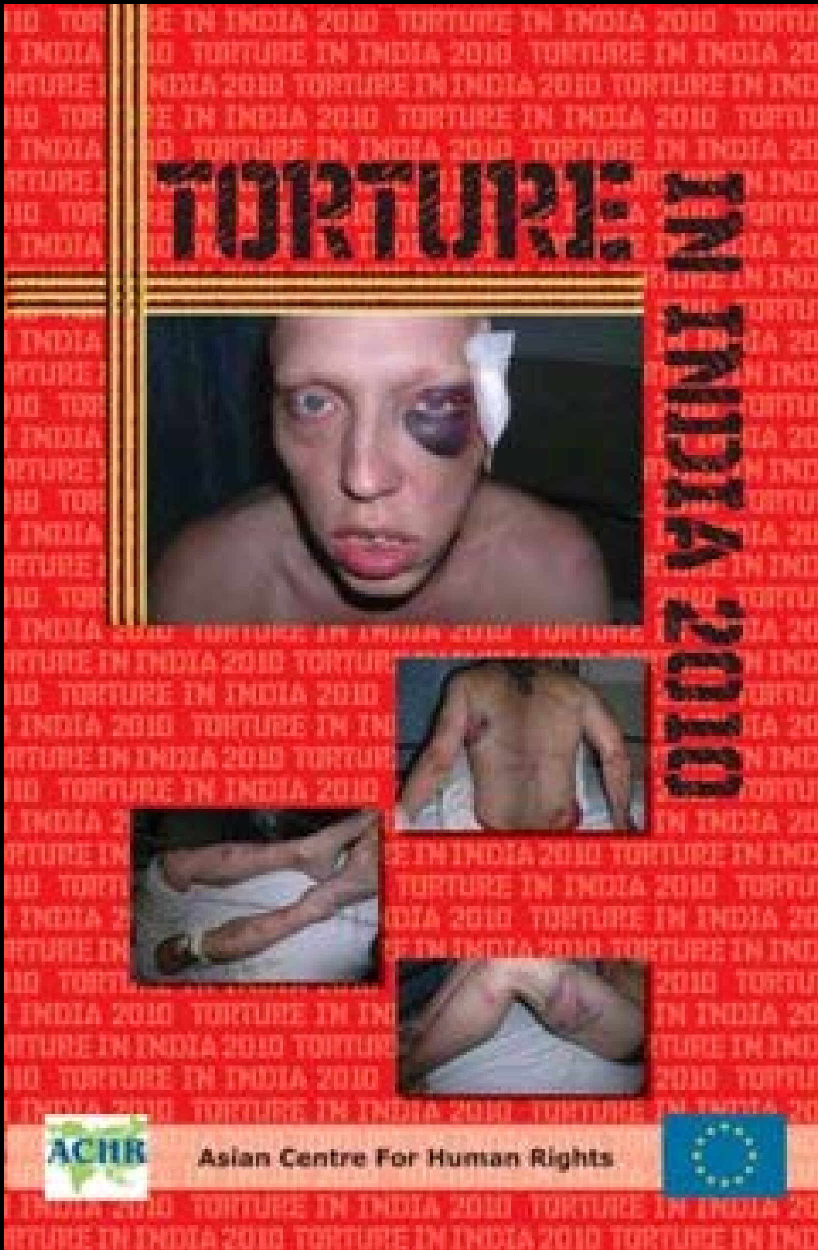

Cont…

- One Vinod Sharma from Gulabi Bagh area of New Delhi whose blackened eyes swollen with frozen blood – exposing that he was brutally boxed before he died – was published by The Hindustan Times on 8 April 2010. There are hundreds of victims of custodial death across the country whose plight never makes it to the newspapers.

- In December 2009, the Bombay High Court asked the Maharashtra government to explain why it had rejected the state Criminal Investigation Department (CID)'s plea to prosecute 10 officers of Mumbai Police in the Khwaja Yunus murder case. The Maharashtra government had sanctioned the prosecution of four minor officers but let off 10senior officials despite the CID establishing their roles in the custodial death of Yunus in January 2003.

Cont…

- In the report, “Torture in India 2010”, the Asian Centre for Human Rights recommended to the Government of India to hold public discussion on the Prevention of Torture bill, 2010 with all stakeholders including the civil society groups and enact the same in 2010 itself; implement the recommendations of the Law Commission of India to make consequential amendments to the Indian Evidence Act, 1872 (insertion of section 114b) to provide that in case of custodial death the onus of proving of innocence is fixed on the police; and repeal section 197 of the Criminal Procedure Code to uphold the supremacy of the judiciary.

A REPORT FROM ASIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS,NEW DELHI.

10- Points to combat torture

1. Adopt an official policy to protect human rights.
2. Investigate impartially all allegations of torture.
3. Bring the perpetrators to justice.
4. Strengthen safeguards against torture.
5. Inform detainees of their rights.
6. Compensate the victims.

Cont…..

7. Train the police and security forces to uphold human rights, and reform the police.

8. Provide torture victims with medical treatment and rehabilitation.

9. Investigate the causes and patterns of torture.

10. Strengthen India's international human rights commitment.

Conclusion

- Custodial violence violates the inherent dignity of a person. It not only humiliates the victim but reduces him to a sub-human level.

- The descent to the sub-human level is not only that of the victim but of the perpetrator as well. The victim's descent can be redeemed. But the perpetrator defies redemption. He develops a cynical contempt for the values of the democracy, the laws he is paid to enforce and for the courts to which, he as a witness, is accountable.

- He becomes impervious to the fact that he is a part of an institutional setup erected for ensuring greater freedom for members to progress towards a meaningful, mature and human society.

Cont…

- There are numerous provisions in the Constitution of India and also in other laws, but unfortunately most of the provisions have remained paper tigers without teeth.

- It is generally the poor, disadvantaged and the weaker sections of the society who are victims of custodial crimes because there is no one to care for them and to protect them.

- It is therefore, for the government and the legislature to give a serious thought to the recommendation of the Law Commission and National Human Rights Commission and bring about appropriate change in the law both to curb custodial crimes and also to ensure that the guilty are punished.

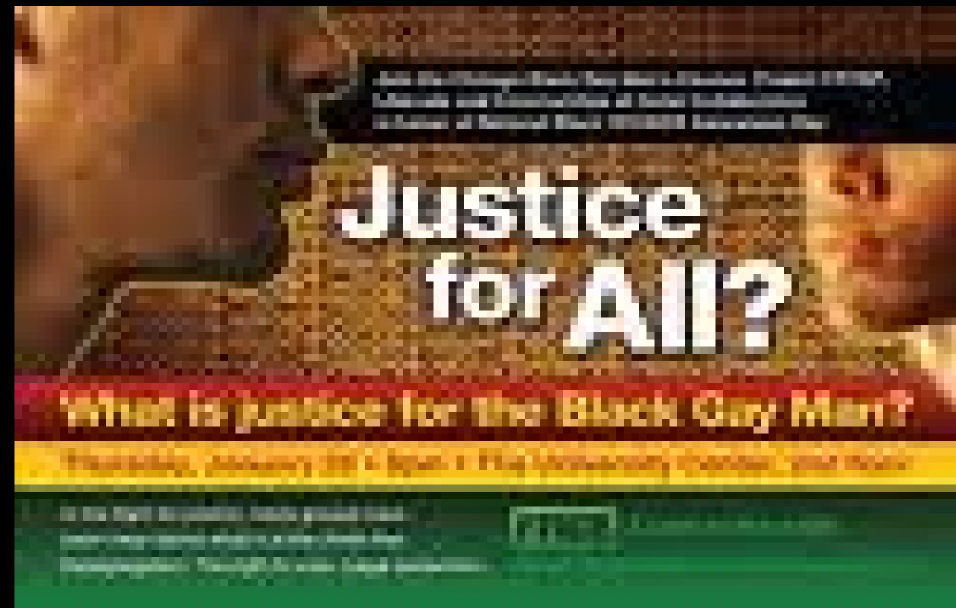

Hence we would like to conclude by stating that we should stop repression of the repressed and make efforts to realize our duties and be honest to our profession.

This can firstly be done by freeing all political prisoners.

BOOKS PUBLISHED

- **These books are kept in the Libraries of different schools and colleges for awareness of students as well as the teaching and ministerial staff. Some books are even kept in the UN-Congress Library at New Delhi.**

- **Teachers of various school are interacting with the students on these issues in zero hours.**

- **About legal aid committees, NGO's / Educational Institutions above 55, and some Newspapers have re-printed/Published these booklets as intimated and about 80,000 booklets titled on women, child rights, dalits, arrest, human rights and HIV have been published and distributed free of cost among the general public to create awareness.**

Legal Awareness Programmes

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 80000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.
- These books are:

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain (Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues

BOOKS PUBLISHED

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—

1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। *(पुनः प्रकाशित)*
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद–21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार– संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। *(पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)*
13. दलितों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) *(पुनः प्रकाशित)*
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ *(पुनः प्रकाशित–2008)*
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

Fundamental Duties Art 51-A

- **The Commission under the guidance of the Hon'ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.**

- **Justice N.K Jain has made the Performa of these duties and distributed. So many institutions have reprinted and distributed in public to create awareness as many people are not aware of their duties.**

- **He is motivating students of various schools, colleges and other institutions. Students of these institutions are reciting the oath of article 51(A) of Constitution of India under the guidance of R.S.H.R.C.**

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur
Phone : 0141-2751417, 2751352

आर्टिकल–51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

(कलैण्डर्स, पेम्पलेट्स, पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्त्तव्यों के प्रति कम सजग है। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन0के0जैन ने *भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51–ए* में वर्णित मुख्य कर्त्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/ विभागों/संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत् करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ–साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ–साथ कर्त्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सर्राफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affilated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
7. अति0 निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज0 बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू–भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सडक सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, *(NIFESM)* जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
13. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विजन इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन– डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायनेंसियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाडा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1Club No. 026309)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल, एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बावाडी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. *लोकशिक्षक* पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित *'मृत्युंजय'* में प्रकाशन
47. राजस्थान पेंशनर्स समाज द्वारा पेंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेन्ट लायन्स क्लब *(District 323 E--1 Club No. 026309)* व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिगम्बन जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्युशन्स, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabities &Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी–74 घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेकनिक कॉलेज, रतनगढ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक

आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षो में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोडते हुए मुहिम को आगे बढाया। इसी कडी में वर्ष 2009–2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान–जागरुकता के कार्यक्रम को बढ़तो हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
67. राजधानी हास्पीटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टेंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज {इण्डिया} जवाहर नगर, जयपुर {हिन्दी / अंग्रेजी}
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व0 श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन {धर्म संरक्षिणी} महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिश्नर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर
83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट *WORLD* जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकडरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी / अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सेदन, बझेरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)

93. राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका– 2010
94. समाचार जगत– समाचार पत्र में प्रकाशित
95. रौनक टाईम्स' समाचार पत्र में प्रकाशित
96. 'दैनिक नवज्योति' समाचार पत्र में प्रकाशित
97. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स के *'राजस्थान चैम्बर संदेश'* (अंक– अप्रेल–2010)
98. स्व0 गेंदीलाल शाह, एडवोकेट की स्मृति में लॉयन कैलाशचंद व अजय शाह द्वारा
99. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन कमेटी, मुम्बई अंचल कार्यालय– जयपुर के अध्यक्ष अशोक नेता
100. सेंट पॉल्स इंगलिश स्कूल, भदादा बाग, भीलवाडा
101. राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसियेशन, जयपुर
102. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर
103. इण्डियन अस्थमा केयर सोसायटी, जयपुर
104. हैल्प एज द्वारा *World Elder Abuse Awareness Day* पर
105. International Summer School of Jain Studies, New Delhi

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-

बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर, जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर छात्राओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए का संकल्प दिलाते कॉलेज के वाइज प्रिंसीपल पी.सी. जांगिड।

Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

Students reciting the pledge.

News

राजस्थान पत्रिका

जयपुर, रविवार, 20 जुलाई 2008

12

छात्रों को पिलाई जाएगी मूल कर्तव्यों की घुट्टी

मानवाधिकार आयोग की पहल पर शिक्षा विभाग से आदेश जारी

जयपुर, 19 जुलाई (का.सं.)

छात्र जीवन से ही नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों की पालना की घुट्टी पिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संवैधानिक कर्त्तव्यों के पालन का संकल्प दिलवाने का आदेश दिया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों को मूल कर्त्तव्यों की पालना का संकल्प दिलाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, जिसकी प्रतियां आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों, अधिकारियों तथा कई दर्जन स्कूलों में भिजवाई गई हैं। शिक्षा विभाग ने आयोग के सुझाव पर माध्यमिक, प्राथमिक और संस्कृत शिक्षा के निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 51-ए में उल्लेखित मूल कर्त्तव्यों की पालना का संकल्प दिलवाएं।

क्या हैं मूल कर्त्तव्य

संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य इस प्रकार है-

- संविधान और उसके आदर्श, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें
- राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें
- भारत की प्रभुता, एकता-अखंडता, सार्वजनिक सम्पत्ति, वन, झील, नदी व वन्य जीवों की रक्षा करें
- स्त्री सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग करें
- हिंसा से दूर रहकर प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास करें
- सभी नागरिकों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।

बंदियों ने लिया मानव अधिकार रक्षा का व्रत

भरतपुर: भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली जा रही गीता संदेश यात्रा सोमवार को भरतपुर स्थित सेवर कारागार पहुंची। संस्थान द्वारा कारागार में बंदियों को मानव अधिकार रक्षा का संकल्प कराया गया।

कारागार में पहुंची गीता संदेश यात्रा के उपरांत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी, सचिव श्रीचंद साहू, भरतपुर के अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो, उमेश शर्मा, जेलर श्रीराम शर्मा द्वारा कैदियों को चरित्र निर्माण सहित गीता के उपदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर कैदी भगवान सिंह, कांता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, मुख्त्यार सिंह, मानवीर, सीताराम सहित अन्य बंदियों द्वारा संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी से परमात्मा, आत्मा, जन्म, मृत्यु, कर्म के संबंध में प्रश्न पूछे गये। इस दौरान जेल परिसर में गिर्राज महाराज की जय व श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी बोल गूंजते रहे।

News

समाचार जगत >> जयपुर >> 10 दिसम्बर, 2007

अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्य भी निभाएं

अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। जहां तक मानवाधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु इसे मनाने के लिए लोगों में अभी–भी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई है। इस कार्यक्रम में सिर्फ संभ्रात वर्ग का ही जुडना काफी नहीं बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव ढाणी की आम जनता तक को इससे जोडना होगा जिससे आगे चलकर वह दूसरों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 (एक्ट नं. 10 ऑफ 19994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6.7.2005 को पुर्नगठन हुआ। 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरी यही कोशिश रही है कि हर मामले में सोच समझकर निर्णय लिया जाए, जिससे पीडित के अधिकारों का हनन रोका जा सके। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से नहीं आएगी। इसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। हर वर्ग खासतौर पर पीडित, दलित उत्पीडित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ–साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि जिससे यदि सडक पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रूक कर उसकी मदद करें ना कि सीधे आगे चले जाएं और बहाना बनाऐं कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है व समय नहीं है। यदि मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उन्हें अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति खास के दायरे में नहीं सिमटा हुआ है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मंगाकर व सुनकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के 60 सालों बाद भी हमें मानवाधिकारों की बात लोगों को तब समझानी पड रही है, जबकि देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है परन्तु आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियां, अन्धविश्वास प्रचलित हैं। यह एक जटिल समस्या है इसके अलावा कुल लोगों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड रहा है। यह आयोग जागरूकता बढाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आमनागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपुर प्रयास कर रहा है कुछ निस्वार्थ व सेवाभावी संस्थाएं भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा व अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर मनव अधिकारों के संरक्षण के साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही हैं। यह सहयोग जितना अधिक मिलेगा, प्रदेश की जनता के मानव अधिकारों के लिएउतना ही अच्छा होगा। प्रायः यह भी देखने में आता है कि बडी बडी बातों की चर्चा तो हर कोई करता है परन्तु छोटी छोटी बातें, जो जीवन में महत्वपूर्ण होती है, उनको नजरअंदाज करते हुए आज इंसान हर कार्य की दूसरों से ही अपेक्षा करता है यह स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। आयोग ने मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोक सेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 30.11.2007 तक 10110 प्राप्त परिवादों में से 9418 परिवादों का निस्तारण कर दिया गया है तथा 1046 परिवाद दिनांक 30.11.2007 को विचाराधीन हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए है, कागजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हां, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिट्रेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढी है। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य हैं, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उदेश्यों के प्रति अधिक सफलत हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिडिया कहलाएगा।

–एन के जैन

जागरूकता की जरूरत

बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी ने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश को कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।

अजमेर रिपोर्टर
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइटस कमीशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ़ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मदुरै व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राइट्स के प्रति लोगो की अवेयरनैस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइट्स जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना की रोकथाम कार्यकर्ता का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुक्कड़ व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियेला, लॉरेन्स एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफ़िया कॉलेज की व्याख्याता संध्या रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर परीना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।

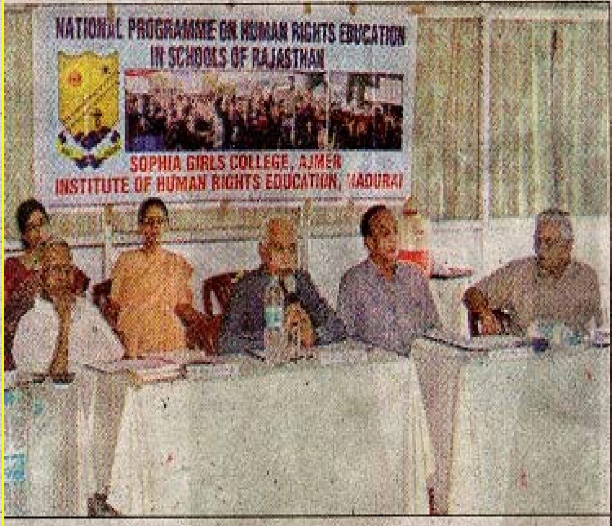

सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि। सरद अजमेर

News Reporting

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निभाएं

जागरूकता मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा।

मानवाधिकार संरक्षण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष दस दिसंबर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव-ढाणी की आम जनता को भी इससे जोड़ना होगा। जिससे आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानवाधिकारों के प्रति सचेत रख सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए 'दा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993' (एक्ट नं. 10 ऑफ 1994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1998 में आयोग का गठन हुआ।

विश्व मानवाधिकार दिवस

जागरूकता सिर्फ मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा। समर्थ लोग अपने अधिकार व मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम हैं, परंतु हर वर्ग खासतौर पर मीडिया, दलित, उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रुककर उसकी मदद करें न कि सीधे आगे चले जाएं। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों के आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है। साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानवाधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति विशेष के दायरे में सिमटा हुआ नहीं है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। जिन आदेशों की पालना नहीं हुई उनके बारे में सरकार को विधानसभा में कारण बताने होते हैं।

– न्यायमूर्ति एन.के. जैन

P3

Human Rights and duties

Protection of Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to HT Jaipur Live, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning pf dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual.

P3

भरतपुर समाचार

जेल में बंदियों ने लिया रक्षा का संकल्प

भरतपुर, 25 अगस्त। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 12 दिवसीय गीता संदेश यात्रा के अन्तर्गत सेवर केन्द्रीय कारागार भरतपुर में बन्दियों ने मानव अधिकार रक्षा हेतु अपराध मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली के तत्वावधान में बिरला मंदिर दिल्ली से प्रारंभ हुई यात्रा आज तीसरे दिन भरतपुर कारागार में पहुंची तो बंदियों ने बोल गिर्राज महाराज की जय से जेल की दीवारों को गुंजा दिया। संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी ने भगवान श्रीकृष्ण के विराट रूप दर्शन के तत्वावधान से बन्दियों से अपील की अपराधों की रोकथाम और मानव अधिकारों की रक्षा के महायज्ञ में आहुति देकर ही आप बंधन से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। श्रीचन्द साहू राष्ट्रीय सचिव भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने कल मथुरा की कारागार में बंदियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संदर्भित करते हुए कहा कि गीता ज्ञान ही मानव जीवन की सफलता का विज्ञान है इसके बिना परिवार और समाज की सुरक्षा संभव ही नही है। समाज सेवी एवं अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ज्ञान ही भगवान है अज्ञान ही शैतान है इसलिये शैतान से मुक्ति हेतु गीता ज्ञान की परम आवश्यकता है। सरदार तारा सिंह ने विश्वात्मा श्रीकृष्ण की तस्वीर पर दुपट्टा पहनाकर और पुष्प अर्पित करके कहा कि भरतपुर कारागार बन्दी उद्धार और राष्ट्र कल्याण का अनूठा अभियान है। देवेन्द्र मित्तल ने बंदियों को गीता की पुस्तकें भेंट की और जेल से बाहर कार्यक्रम करने की अपील भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान से की। अधिवक्ता उमेश शर्मा ने भारतीय चरित्र निर्माण संस्था की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सन् 2003 से ही संस्थान भरतपुर जेल में अपराध मुक्त समाज निर्माण अभियान में जुटा है। कारागार में जेलर श्रीराम शर्मा ने कृष्णा जन्माष्टमी पर गीता के कर्म विज्ञान में संदेश से मानव कल्याण निश्चित साधन बताते हुए कहा कि जेल सुधार और मानव अधिकार रक्षा का यह अद्वितीय अभियान है भरतपुर कारागार प्रशासन का संस्थान को पूर्ण सहयोग सदैव मिलता रहेगा। बंदी भगवान सिंह गिल्ली, कान्ता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, पण्डित मुख्तियार, सीताराम एंव अन्य बन्दियों ने परमात्मा,जन्म- मृत्यु कर्म और फल के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे जिनका समाधान रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा श्रीमद्‌भगवत गीता में संदर्भित करते हुए किया गया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष एनके जैन ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में अनुछेद 51 ए में वर्णित देश के नागरिक के मूल कर्तव्य का संकल्प कराएं। उसी के अनुसार संस्थान ने बन्दियों संकल्प पत्र प्रदान किया और बंदियों ने संकल्प लिया।

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इसके गठन से ही यह प्रयास रहा है कि राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ-साथ लोक सेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह सही है कि प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकारों के हनन से बचाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों की यह सोच थी कि यह आयोग कोई समानान्तर कोर्ट/ सरकार नहीं है, अपितु यह तो लोक सेवकों को अपने-अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो सुशासन में ही मददगार है। अब उनकी सोच में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर लॉजिकल कन्क्लूजन से उनका निस्तारण करने के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समृद्ध लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, किन्तु हमें हर वर्ग, खासतौर पर पीड़ित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ-साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमें अहम् भाव नहीं रखकर सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं सद्भावना से कार्य करना होगा।

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा 'ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाइ द पीपुल' के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। एक सुदृढ लोकतंत्र के तीन स्तंभ होते है- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तीनों ही स्तंभ अपने- अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इनमें कोई छोटा- बड़ा नहीं है। साथ ही, लोकतंत्र की सुदृढता के लिए प्रेस भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है व उसकी अहम् भूमिका रहती है।

जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते है, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। अतः सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकार के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक होंगे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या- एक से तीस तक के सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिए गए हैं। इस घोषणा पत्र के आधार पर व्यक्ति के मानवाधिकारों को तो संविधान में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल- 51 ए के माध्यम से जोड़ा गया। तीन दशक बीत जाने के बावजूद इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है कि 'इग्नोरेंस ऑफ ला इज नो एक्सक्यूज' परन्तु हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विविध कानून विषयों पर लेख/ कई बुकलेट्स प्रकाशित की गई है, जिनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य की विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों व कई व्यक्तियों द्वारा अपने प्रियजनों की याद में पुनः प्रकाशित करवाया गया। कुछ बुकलेट्स जैसे महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी/एड्स, ह्यूमन राइट्स की 70000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को वितरित किया। इस पुनीत कार्य का प्रदेश के नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आयोग उनके इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित 'त्रैमासिक न्यूजलेटर' के माध्यम से भी आयोग के कार्यकलापों की अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन 60 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और अभी बहुत कुछ करना शेष है, लेकिन अधिकारों के बारे में पिछले कुछ वर्षों से ही चर्चा हो रही है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक आर्टिकल- 51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें अपने जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे, तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति देश का सच्चा और अच्छा नागरिक बनेगा तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भावना प्रबल होगी। मानवाधिकारों के प्रचार- प्रसार के साथ-साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51ए की मंशा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने कार्य के साथ-साथ इस जागरूकता कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनकी बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदर भाव एवं अच्छे संस्कार बने। साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पितता की भावना जागृत हो। करीब 62 संस्थाओं द्वारा इस प्रारूप के 20000 से ज्यादा कलेण्डर्स और करीब 80000 के करीब पेम्पलेट्स छपवा कर राज्यभर में अपने कार्यक्रमों के दौरान बंटवाने बाबत् अवगत कराया है। आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार- प्रसार से विद्यार्थियों तथा लोक सेवकों के साथ-साथ आमजन भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा।

मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं

भारतीय संविधान के आर्टिकल- 51 ए मे हमें संविधान का आदर करने एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए कहा गया है। संविधान का आदर करने का अर्थ है, हम अपना स्व का आदर और अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे है। इसी प्रकार राष्ट्र ध्वज हमारे देश की आन-बान और शान का प्रतीक है। इसके तीन रंग- केसरिया, सफेद और हरा क्रमशः बलिदान, शांति और प्रगति के प्रतीक है और मध्य मे नीले रंग का अशोक चक्र धर्म की राह पर चलने का संदेश देता है। हमें इसका तहेदिल से सम्मान करना चाहिए। जो तिरंगे और राष्ट्रगान के महत्व को समझते हैं वे तो इलिट्रेट होने के बावजूद इनको पूर्ण सम्मान व आदर देते है, परन्तु आज हम देख रहे है कि गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौराहों पर जगह- जगह कागज और प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज बिक रहे है तथा लोग इसे खरीद भी रहे हैं। परन्तु इन ध्वजों को खराब हो जाने पर इन्हे कचरे मे फेंक दिया जाता है। यह राष्ट्र ध्वज का अपमान नही तो और क्या है? इसके अलावा यह भी देखने मे आता है कि पढ़े लिखे लोग क्रिकेट एवं अन्य खेल देखते समय गालों पर तिरंगे बनवाते है तथा तहमद की तरह लपेटते है और जीतने की खुशी का इजहार इस तरह से करते है कि तिरंगा जमीन और पैरों मे आ जाता है, जबकि किसी भी खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय/ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर भारतीय तिरंगे फहराते हुए राष्ट्रगान बजने पर भी ध्यान नही जाता है या वे इसके प्रति गंभीर नही है। अतः हमे इस प्रवृति से बचना होगा और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। सिनेमा हॉल अथवा किन्ही अन्य विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान बजने पर हमे संविधान की मुद्रा मे खड़े होकर इसको सम्मान देना चाहिए।

जिस प्रकार देश की आजादी से पहले हमारे महान् राष्ट्र नायकों ने भारत छोड़ो आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने जैसे अनेकानेक आंदोलन चलाए थे और अपने त्याग और बलिदान से देश के लोगों को समर्पण भाव से शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, जिससे देश को आजादी मिली। उसी प्रकार आज हमे देश की एकता एवं अखण्डता कायम रखने के लिए आतंकवाद का मुकाबला और भ्रष्टाचार मिटाने जैसे ज्वलंत एवं समसामयिक समस्याओं के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अधिक से अधिक अन्य लोगों को भी साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करना होगा। यह हमारा कर्तव्य भी है और ऐसे उच्च आदर्शों की पालना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

हमारी धरती सदैव से ही प्रकृति पर आश्रित रही है। यदि प्रकृति ही हमारे साथ नही रही तो धरती। का अस्तित्व ही नही रहेगा। इसलिए हमें संविधान की मंशा के अनुरूप हमारे प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। इनके संरक्षण के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने होंगे। यदि इनका अस्तित्व नही रहेगा तो मानव का भी अस्तित्व नही रहेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ हमारे जीवन से खेलने के समान है। (लाया)

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें स्वयं के साथ– साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबंधन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरुष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि वह महापुरुषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाएं तथा इनके सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

आज जगह– जगह धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग– विभेद के नाम पर लोग एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। यह स्थिति ठीक नही है। यह समाज और देश के लिए अत्यंत घातक है। धर्म समाज का पोषण करता है। कोई भी धर्म शोषण की बात नहीं कहता है। अपनी। आस्थाओं के अनुसार धर्म हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना सिखाता है। दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, धर्म इस बात की तरफ भी आकर्षित करता है। हमें सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाते हुए सभी धर्मों का आदर करना होगा। सम्पूर्ण देश हमारा है। यहां के सभी निवासी हमारे भाई– बंधु ही हैं। किसी भाषा विशेष अथवा क्षेत्र विशेष पर किसी एक का अधिकार नही है। यह बात भी हमें सच्चे मन व ईमानदारी से अपने दिल में उतारनी होगी।

अहिंसा परमोधर्मः और वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आधारभूत सिद्धान्त हमारे देश की ही देन है। आज सम्पूर्ण विश्व हमारी इन मान्यताओं का कायल है। हमारे संविधान में भी इन्ही सिद्धान्तों को समाहित करते हुए प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखने की बात कही गई है। दया धर्म का मूल है अर्थात जहां दया है, वही धर्म निवास करता है। 'अहिंसा' दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस काम से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हिंसा मनुष्य की मानसिक विकृति को दर्शाती है। हमारे संविधान की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति दया रखें और हिंसा से दूर रहे। सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक हैं। हमें ही इसे भोगना है। अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृतसंकल्प रहना होगा। आज अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों के नाम पर देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात हो गई है। देश की सम्पत्ति के नुकसान का अर्थ है कि हम अपने आपको उतना ही अधिक पीछे धकेल रहे हैं। कानून बनाने मात्र से देश की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें स्वयं ही जागरूक होना होगा तथा यह बात भी हमें बखूबी समझ लेनी चाहिए कि देश की सम्पत्ति का विध्वंस हमारा अपना स्वयं का विध्वंस है। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमारे ऋषि– मुनियों, धर्म गुरूओं, विद्वानों, आचार्यों, कवियों तथा साहित्यकारों ने सम्पूर्ण विश्व में भारत का परचम फहराया और अपनी अलौकिक शक्तियों व ज्ञान का लोहा मनवाया, उसी प्रकार आज के इस वैज्ञानिक युग में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा भी आधुनिक तकनीक और अपनी योग्यता के बल पर विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रगति को अग्रणी बनाया हुआ है। अतः हमें हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण, विद्वानों की मानवता और धर्मगुरूओ द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी विचारों का तहेदिल से आदर करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव सभी के अन्दर है। बस इसे इन्कलकेट करना होगा। यही हमारे देश के संविधान की मंशा है। भाईचारे की भावना और एक दूसरे के सुख– दुःख में भागीदारी हमारे देशवासियों में प्राचीन काल से चली आ रही है। परस्पर भाईचारा घर– परिवार व बुजुर्गों के साथ समन्वय बनाए रखना आज के समय की आवश्यकता है। यह परम्परा हमें यथावत जारी रखनी होगी। इसे अनदेखा करना हमारे लिए घातक हो सकता है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हमें सकारात्मक विचार एवं बदलाव की जरूरत है। हमें स्वार्थ की भावना से उठकर स्वयं की प्रगति एवं उन्नति के साथ–साथ समाज के कल्याणार्थ चलाई जा रही गतिविधियों में भी बढ़चढ़ कर सहभागिता निभानी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु सामूहिक प्रयास करने होंगे। जो समय की मांग है। यही हमारे संविधान की मंशा है। हर मां–बाप अपने च्चों की उन्नति के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो उसकी क्षमता से अधिक व अच्छी पढ़ाई करवाकर बड़ा आदमी, पैसे वाला, स्टेट्स वाला बनाना चाहते है। आज का बच्चा नोलेजेबल इन्टीलीजेंट व अच्छा आईक्यू रखने वाला है। पर मानवीय मूल्यों की अधिक जरूरत है क्योंकि कम्प्यूटर संस्कार नही दे सकता। संस्कार तो मां–बाप के आचरण व गुरूजनो से ही प्राप्त होते है, परन्तु हिप्पोक्रेसी की वजह से हम बच्चों को मौलिक शिक्षा देने से चूक रहे है, जिसका नतीजा आज के भौतिक युग में हम सभी देख रहे है। इसलिए संविधान में वर्णित कर्तव्यों के बारे में उनको बताना जरूरी है। उक्त सभी बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 51ए में निहित है। इसलिए मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरा विनम्र प्रयास है कि हर मां–बाप की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के आर्टिकल 51 ए में वर्णित शब्दों, विचारों एवं भावों को समझे और दूसरों को भी समझाए।

हालांकि देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन जब तक हम शिक्षा को बढ़ावा और बेरोजगारी एवं कुरीतियों को दूर कर मानसिकता में बदलाव नही लाएंगे, तब तक पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश के सभी धर्म और साम्प्रदायों के संत, आचार्य और धर्मगुरू भी आमजन को सद्‌गुणों, मर्यादित जीवन के साथ मानवीय मूल्यों पर चलने की बात कहते हुए अच्छा नागरिक बनने की सलाह दे रहे है। फिर भी यदि उनके द्वारा संविधान में निहित कर्तव्यों का बोध कराया जाए तो आमजन में इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी धर्मों का निचोड़ हमारे संविधान के आर्टिकल– 51ए में है कि हम विनयशील बनें और अहिंसा के साथ परस्पर समन्वय, सुहार्य, सहिष्णुता, दया, क्षमा, पवित्रता और नम्रता जैसे सुखद मार्ग पर चलें, जिससे सही मायने में जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। आज एक तरफ तो देश मैट्रो ट्रेन चलाने, चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है और देश में बड़ी– बड़ी इमारतें और बड़े– बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और हम देश की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) 9 प्रतिशत तक ले जाने की बात कर रहे है और कुछ/ महानुभाव देश– विदेश के समृद्ध लोगों की लिस्ट में शुमार है और उच्च स्तर की बाते कर रहे है। दूसरी तरफ देश की 70 प्रतिशत जनता इन सभी बातों से अनभिज्ञ है। गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और वह अपनों से ही शोषित हो रहा है, जिसको दूर किए जाने की जिम्मेदारी सभी की है।

आयोग के समक्ष विभिन्न प्रकार की शिकायतों के साथ–साथ इस तरह की शिकायतें भी आ रही हैं कि खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट हो रही है, पर्यावरण और पेड़ लगाने के नाम पर अपने मकानों के आगे अतिक्रमण किया जा रहा है, मादक पदार्थों को बढ़ावा व जानवरों की तस्करी, महिलाओं– बच्चों एवं मानव अंगों की तस्करी की जा रही है, बुजर्गों, महिला व बालकों के प्रति समन्वय में कमी आ रही है और संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है।

यह सब स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, मानवीयता के अभाव, कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के कारण है। साथ ही, बिना परिणाम के बारे में सोचे समझे कि जनता को क्या संदेश जा रहा है, सिनेमा और टीवी पर विज्ञापन प्रसारित किए जाकर जनता की भावना को भुनाया जा रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ–साथ, इन सब बातों का निराकरण स्वयं की सही एवं सकारात्मक सोच के बिना संभव नही है। सिर्फ सरकार व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नही है। इसलिए आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों को निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्ठा के साथ करना होगा। वैसे तो हर व्यक्ति को सभी कुछ मालूम है, परन्तु क्रियान्विति की कमी है।

इसलिए इस लेख के माध्यम से मेरा सादर निवेदन है कि स्वयं शुद्धि के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी बंधु, शिक्षक, धार्मिक गुरू, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता व मीडिया को समाज के पुनः निर्माण में ईमानदारी से अहम भूमिका निभानी होगी तथा समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी। इसलिए हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह जीवन में संकल्प ले तथा व्यवहार में नैतिकता, ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करें। लोग अपने कर्तव्यों को समझे, उनकी पालना करें, जिससे उनके अन्तःकरण में परिवर्तन के साथ–साथ सकारात्मक सोच का भी प्रादुर्भाव होगा और वह देश की एकता और अखण्डता कायम रखते हुए अपने आत्मकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

रौनक टाइम्स, दैनिक
E-Mail : nirmalrounaktimes@gmail.com

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण करता है और समय-समय पर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया जाता है।

जैन ने बताया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद-51 ए में निहित भावों को समझे और उन्हें जीवन में पूरी ईमानदारी और संकल्प के साथ उतारे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वत: ही हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से छेड़ी गई मुहिम का अनुसरण करते हुए कई स्कूलों में अनुच्छेद-51 में निहित भावों की पालना करने का संकल्प प्रार्थना के समय प्रतिदिन दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस मुहिम से जुड़कर लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 62 संस्थाओं ने अनुच्छेद-51 के प्रारूप के 20 हजार से ज्यादा केलेण्डर और करीब 80 हजार पैम्पलेट्स छपवाकर राज्यभर में कार्यक्रमों के दौरान बंटवाएं हैं। इस प्रचार-प्रसार से लोगों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जागरूकता पैदा हुई है।

उन्होंने बताया कि हर किसी को कानून की सम्पूर्ण जानकारी होना संभव नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग की ओर से विविध कानूनी विषयों पर लेख और बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। इनमें से कुछ को पुन: प्रकाशित करवाया गया है। इसके अलावा कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, विभिन्न संस्थाओं, स्कूलों एवं अन्य व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों की याद में पुन: प्रकाशित करवाया है।

श्री जैन ने बताया कि महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, एचआईवी एड्स, मानवाधिकार, संबंधी करीब 70 हजार पुस्तकें आमजन में वितरित की गई हैं, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और शोषण से बच सकें। आयोग की ओर से एक त्रैमासिक न्यूजलेटर भी प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आयोग की गतिविधियों सहित सभी नवीन जानकारियां शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या-एक से तीस तक के सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में समाविष्ट कर लिया गया था। इस घोषणा पत्र के आधार पर मानवाधिकारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया। हर प्रकार के अधिकार के लिए उसके अनुरूप एक कर्तव्य भी होता है, जो संविधान की मंशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा व्यक्ति के मूल कर्तव्यों को आर्टिकल-51 ए के माध्यम से जोड़ा गया है, लेकिन तीन दशक बाद भी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने से हर व्यक्ति इसकी भावना के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

अनुच्छेद-51 के अनुसार हमारे कर्तव्य हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। एकता व अखंडता कायम रखने के लिए आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और लोगों को जागरूक करें व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। प्राकृतिक स्रोतों यथा वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करें। स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के निर्माण एवं सेवा के लिए तत्पर रहें। धर्म, भाषा, प्रादेशिकता एवं वर्ग विभेद के नाम एक-दूसरे के विरोधी नहीं बनें।

संवेदनशीलता से कार्य करें मानवाधिकार मामलों में : जैन

कार्यालय संवाददाता, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने राजकीय विभागों से मानवाधिकार संबंधी मामलों पर संवेदनशीलता और सजगता से कार्य करने को कहा है। जैन शासन सचिवालय के सभा कक्ष में राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित चाइल्ड लेबर 2003 वीमन ट्रेफिकिंग की एक दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप में बोल रहे थे।

उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों से कहा कि वे मानवाधिकार से जुड़े मामलों में सजग रहकर समाज के विकास में अपना सहयोग करें। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति जगत सिंह ने कहा कि आयोग समय-समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की सदस्य शांता कुमारी मेनन ने बाल श्रम एवं वीमन ट्रेफिकिंग का कारण गरीबी को बताया।

शासन सचिवालय में 'चाइल्ड लेबर एण्ड वीमन ट्रेफिकिंग' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने की।

पुलिस अधीक्षक को चेतावनी

जयपुर, 15 फरवरी (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस द्वारा परिवादों की जांच एवं वस्तुस्थिति से समय पर अवगत नहीं करवाने को न्याय में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे ही एक मामले में जयपुर शहर (दक्षिण) पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी एक साल से रिपोर्ट तक नहीं आई है, इसके लिए सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को चेतावनी पत्र लिखा गया है। आयोग ने यह कार्रवाई 28 मार्च 2006 को दर्ज एक परिवाद के मामले में की है। मामले में करीब एक साल से बार-बार याद दिलाने के बावजूद आयोग को जयपुर शहर (दक्षिण) पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। आयोग ने इस मामले में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से जिम्मेदार अधिकारी को अगली पेशी पर आयोग में हाजिरी देने के लिए पाबंद करने को कहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से उनके कार्यालय में आयोग से सम्बन्धित लम्बित परिवादों की सूचना मांगी है। मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को है।

अजमेर रोड पर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में रविवार को आयोजित कार्यशाला में मानवाधिकार के बारे में पुलिस कर्मियों को जानकारी देते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष शंकर सेन। प्रेस फोटो : अशोक बदवाल

'पुलिस बदले अपना व्यवहार और कार्यप्रणाली'

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महानिदेशक ने कहा, जनता का उस पर से भरोसा उठना भी सामाजिक अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण

अजमेर, 11 मार्च (कासं)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महानिदेशक शंकर सेन ने कहा है कि पुलिस को जनता का भरोसेमंद बनने के लिए अपने व्यवहार और कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा। उसे हर व्यक्ति को ...स्थापित पर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आदत डालनी होगी। वे रविवार को पुष्कर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में 'नेशनल प्रोजेक्ट ऑन प्रिवेंशन टॉर्चर इन इंडिया' द्वारा मानवाधिकार व यातना को परिभाषित कर समझना व लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था व यातना रोकने में पुलिस की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

सेन ने कहा कि पुलिस और आम व्यक्ति दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। पुलिस पर से जनता का भरोसा उठ जाना ही समाज में व्याप्त अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जनता से संवादहीनता और खुद को व्यवस्था बताने का अहम हिस्सा समझना दुखदायी परिणाम दे रहा है। पुलिस यदि कानूनी प्रक्रिया को समझकर उसकी पालना करने लगे, सभी लोगों से एक जैसा व्यवहार करने के साथ-साथ खुद में सुधार करे तो उन पर लोगों को प्रताड़ित करने के आरोप लगने कम हो जाएंगे। संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना और उससे जबरन अपराध कुबूल कराने के लिए ताकत का उपयोग करना गलत है। उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को यातना देने को विधि सम्मत होना नहीं बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि मानवाधिकार कोई विदेशी अवधारणा नहीं है।

हमारी संस्कृति और संविधान व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, यही मानवाधिकार की धारणा है। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे पीपुल्स वाच कार्यकारी निदेशक हेनरी टिफेन ने कहा कि किसी भी प्रकार से लोकसेवक द्वारा किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने के मकसद से पहुंचाई गई मानसिक और शारीरिक यातना मानवाधिकार का हनन है। जाति, लिंग व क्षेत्रवाद के आधार पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना यातना का रूप है। उन्होंने कहा कि यातना को वही समझता है जो यातना सहन करता है। कार्यशाला को पूर्व महानिरीक्षक (जेल) आर.के. सक्सेना, पीपुल्स वॉच की राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुनीता सिंह, पीयूसीएल के डी.एल. त्रिपाठी और किरण दुबे ने भी संबोधित किया। अंत में पीपुल्स वाच की राज्य निदेशिका सिस्टर कैरोल गीता ने आभार व्यक्त किया।

जन-जागरण से ही मानवाधिकार हनन रुकना संभव

अजमेर, 11 मार्च (कासं)। मानवाधिकार हनन की प्रवृत्ति समाप्त करने के लिए जारी जन-जागरण के परिणामों के बारे आयोग के प्रतिनिधि काफी आशान्वित हैं। जबकि पुलिस कर्मचारियों का मानना है कि केवल उनके व्यवहार में बदलाव अथवा सोच बदल लेने से ही भयमुक्त समाज की कल्पना साकार नहीं हो पाएगी। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति में भी जागृति आना आवश्यक है।

जागृति की जरूरत

राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के पूर्व महानिदेशक **शंकर सेन** ने कहा है कि पुलिस कर्मचारियों अथवा सरकारी

कर्मियों से ही मानवाधिकार नियमों की पालना की उम्मीद रखना बेमानी होगा। देश में बेहतर कानून व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए आम लोगों में भी जागृति आवश्यक है। पुलिस के साथ-साथ अन्य महकमों के कर्मचारियों को यह बताना जरूरी है कि उनका व्यवहार किसी साथी कर्मचारी अथवा विभागीय कार्य से आने वाले आगंतुकों के लिए प्रताड़ित करने वाला नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए, कि केवल कर्मचारी वर्ग में सुधार की जरूरत है। कर्मचारी और आम आदमी दोनों ही समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए समाज व राष्ट्रहित में अपनी भूमिका अदा करने के लिए सकारात्मक सोच से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा जनता से जुड़े हुए विभागों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।

कानून की हो पूरी जानकारी

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष **एन.के. जैन**

ने कहा कि पुलिस के खिलाफ ही मानवाधिकार हनन के अधिकांश मामले उजागर होते हैं। जिससे आम आदमी का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। जनता से मित्रवत व्यवहार नहीं करने का खामियाजा भी पुलिस विभाग भुगतता है। उसे किसी भी मामले में अनुसंधान करने में कई दिक्कतों का सामना करना होता है। पुलिसकर्मी को कानून और उसकी प्रक्रिया ज्ञात नहीं होने से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आवश्यक है कि पुलिस कर्मचारियों को कानून की पुख्ता जानकारी दी जाए।

पुलिस को निशाना बनाना गलत

कार्यशाला में भाग ले रहे **ए.एस. आई. पूरण** ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से नई जानकारियां मिलती हैं

किंतु मानवाधिकार आयोग का उपयोग जनता केवल पुलिस के खिलाफ करने की मंशा रखे इस सोच को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को भयभीत करने वालों से सख्ती पुलिस का शौक नहीं मजबूरी है। उन्होंने पुलिस व आम आदमियों में मानवाधिकार के प्रति जागृति लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

सभी को हो जानकारी

कार्यशाला में शिरकत कर रहे **ए.एस.आई. सोहन**

सिंह ने कहा कि मानवाधिकार के बारे में सर्वाधिक जानकारी पुलिस को होनी आवश्यक है लेकिन बेहतर व्यवस्था के लिए जनता का शिक्षित व जागरूक होना जरूरी है। केवल पुलिस कर्मचारियों पर मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाया जाना भी उचित नहीं है।

अन्य विभागों की भी सुध ली जाए

रेलकर्मी **अशोक यादव** ने कहा कि जिस तरह मानवाधिकार के बारे में आयोग पुलिस पर विशेष नजर

रखता है। उसे अन्य विभागों की भी सुध लेनी चाहिए। समय-समय पर अपने स्तर पर सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करने और कर्मचारियों के संबंधित मामलों की जानकारी एकत्र किया जाना चाहिए, जिससे पुलिस के साथ-साथ अन्य संस्थानों की कार्यप्रणाली सुधरेगी और बेहतर सामाजिक व्यवस्था की कल्पना को साकार किया जा सकेगा।

मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता बढाई जाये : मुख्यमंत्री

मानवाधिकारों का नहीं होने देंगे हनन

मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष से मुलाकात

जयपुर, 4 मार्च। राज्य सरकार मानवाधिकारों को लेकर पूरी तरह गंभीर है किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।

राज्य सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने मानवाधिकार आयोग की बेहतर कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया। मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह ने बुधवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन से मानवाधिकार आयोग के कार्यालय में मुलाकात की। लगभग आधा घंटे तक चली मुलाकात में दोनों के बीच मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। जैन ने सिंह को मानवाधिकारों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की प्रतिज्ञा दिलवाने के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि यह अभिनव प्रयोग है इससे बालकों के बीच अच्छे संस्कार पैदा होंगे। मंगलवार को जैन से राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हरीश मीणा ने मुलाकात की थी।

हर थाने में लगेंगे कानूनी जानकारी के सूचनापट्ट

पुलिस महानिदेशक मीणा ने की मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जैन से मुलाकात

जयपुर, 3 मार्च। राजस्थान पुलिस आम नागरिकों को मानवाधिकारों और कानून की जानकारी देने वाले सूचनापट्ट हर थाने में लगाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एन के जैन को आश्वस्त किया कि मानवाधिकारों के मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा ने मंगलवार को मानवाधिकार आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन. के. जैन से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग पौन घंटा बातचीत हुई। जैन, ने मीणा को आश्वस्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के डी के बसु मामले में थाने में आम नागरिक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश की पालना की जाएगी। जैन ने जानकारी दी कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत के बाद परिवादी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाए। मीणा ने ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग और पुलिस के बीच सामन्जस्य स्थापित करने पर विचार-विमर्श हुआ।

महिलाओं की दयनीय स्थिति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

जोधपुर, (निसं)। आज से कानून एवं महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना... विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जयनारायण विश्वविद्यालय एवं महिला विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। महिला महाविद्यालय के सभागार में शुरू हुई इस संगोष्ठी का उद्घाटन न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेएनवीयू के कुलपति डॉ. लोकेश कुमार शेखावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डी.एल. जौहर ने की। संगोष्ठी के निदेशक विधि संकाय के प्रो. रामनिवास शर्मा ने बताया कि आदिकाल से पुरूषों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। वैदिक काल को छोड़कर स्मृति काल से देश के स्वतंत्र होने तक महिलाओं का स्तर व स्थिति दोयम दर्जे की रही है और महिला ज्यादातर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पुरूष पर निर्भर रही है। प्रो. शर्मा ने बताया कि पश्चिमी देशों में भी महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 जारी होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास शुरू हुआ। इस घोषण पत्र में महिलाओं को प्रथम बार हर क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये गये है। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति एवं स्तर में सदस्य राष्ट्रों की उदासीनता के कारण ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। सुधार को तेजी से अग्रेषित करने के उद्देश्य से 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कन्वेंशन को संघ के सभी सदस्य राष्ट्र की सहमति से लागु किया।

JUSTICE JAGAT SINGH
SHRI D S MEENA
SHRI PUKHRAJ SIRVI

MS. PRERNA ARORA
JUSTICE N K JAIN

प्रताप जयंती पर हल्दीघाटी में मानवाधिकार
रक्षा का संकल्प 9 मई, रविवार 2010
आयोजक :-
महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी
भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान - दिल्ली

"अपराध मुक्त भारत"
केन्द्रीय कारागृह उदयपुर
स्टाफ एवं बन्दीगण

पुलिस
वाधिकार एवं पुलिस
पुलिस अकादमी
दिनांक : 26 जून 2010
एन.के. जैन

पुलिस
कार एवं पुलिस
पुलिस अकादमी
26 जून 2010

मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रहो

ध्यानाकर्षण

वेद व्यास

राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।

हजारों साल के इतिहास में मनुष्य और प्रकृति की सर्वोच्चता का जयघोष पढ़ने, सुनने के बाद आज 21वीं शताब्दी की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच यदि कोई संकट में है, तो वह मनुष्य और प्रकृति ही है। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणापत्र को पढ़कर चकित और हैरान हैं, क्योंकि मनुष्य समाज को खुद अब यह पता नहीं है कि उसका भविष्य क्या है? एक तरफ विज्ञान ने मनुष्य का यन्त्रीकरण कर दिया है, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी विकास ने समाज का बाजारीकरण कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही, जहाँ 9-10 प्रतिशत विकास दर की शेखी बघारी जा रही है, वहाँ आज 77 प्रतिशत आबादी केवल 20 रुपये रोज पर जीने को लाचार है। कानून का शासन और मानवाधिकार की सारी बातें हवाई हैं, क्योंकि आज भी समाज में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का संविधान ही लागू है। इस तरह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय और समानता के सभी सिद्धांत ऐसे लग रहे हैं, जैसे कि हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं।

मानवाधिकारों की मशाल को लेकर भूखे-नंगे आदिवासी-वनवासी तो अब नक्सलवादी बन गए हैं, तो दलित जातियां अम्बेडकरवादी हो गई हैं। कोई उग्रवादी, तो कोई पृथकतावादी हो गया है। ऐसे में आतंकवाद की सारी अवधारणाएं जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता की कोख से ही जन्म ले रही हैं। पूरे मनुष्य समाज में और प्रकृति की संरचना में इस तरह का जलवायु परिवर्तन आ रहा है कि- अधिकारों के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कर्तव्यों की इतिश्री भी हो रही है। हिंसा और प्रतिहिंसा के इस कठिन समय में मानवाधिकारों की बातें अब केवल अदालती फैसलों तक सीमित हो गई हैं। हमें लगता है कि वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एक भ्रम है और असमानता एक यथार्थ है।

मानवाधिकार के जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए राज्य व्यवस्था के अपने संविधान और कानून हैं, तो अन्याय और शोषण के हथियार चलाने वाले समाज के अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र हैं। आज साम्राज्यवादी और धर्मभीरु धनी देशों से कोई यह नहीं पूछता कि- वियतनाम पर परमाणु बम गिराने का अधिकार उसे किसने दिया था और फिलस्तीनों को उनकी मातृभूमि से बेदखल किसने किया था और अफगानिस्तान, ईराक और पाकिस्तान को तबाह क्यों किया जा रहा है और खाड़ी के अरब देशों में तथा दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप की रणनीति कौन थोप रहा है? आज पूरी दुनिया के छोटे-बड़े देश इसीलिए गुलामी के द्वीप समूह बनते जा रहे हैं कि पूंजी + सैनिक + विज्ञान से लैस कुछ अमीर देश ही गरीब देशों की स्वायत्तता और संप्रभुता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र और राज्यों के अधिकार ही लूटे जा रहे हैं, तब भला मनुष्य के अधिकारों की चर्चा यहाँ कौन करेगा? आज भारत में भी मानवाधिकारों को लेकर कोई गंभीर चिन्ता किसी शासन और प्रशासन में इसलिए ही नहीं है कि राज्य व्यवस्था का चेहरा, चाल और चरित्र ही समता और न्याय विरोधी है। यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें ही मानवाधिकार की अदालत में सबसे बड़ी अपराधी हैं तथा पुलिस और प्रशासन कहीं भी संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह नहीं है। आजादी के बाद 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से लेकर 2002 में हुए गुजरात के अल्पसंख्यक विरोधी हिंसक उपद्रव भी इस बात के ही गवाह हैं कि मानवाधिकार के प्रति, राज्य व्यवस्था की पोषित राजनीति में कोई जगह नहीं है। 1984 के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगे और 25 साल पहले भोपाल की गैस त्रासदी में हजारों बेगुनाहों की मौतें और सांप्रदायिक हिंसा से लथपथ हमारा लोकतंत्र आज तक इस बात पर चुप है कि मानवाधिकारों से इन सभी बेकसूर मरने वालों का भी कोई रिश्ता-नाता था।

इस तरह भारत में मानवाधिकारों की दास्तान इसलिए भी दर्द भरी है कि यहाँ संविधान से लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे सभी संस्थान तो बने हुए हैं, लेकिन असलियत में ये सभी आयोग निहत्थे और प्रभावहीन हैं, क्योंकि यहाँ सरकारी संस्थाएं ही सबसे अधिक संगठित मानवाधिकार विरोधी

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993-94 के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मार्च, 2000 में गठन हुआ था। कहने को यह आयोग भी एक स्वायत्तशासी संस्थान है, लेकिन इसकी अभी नियुक्तियां, बजट और दिशा-निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार ही करती है। वर्तमान में अलवर निवासी और मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नगेंद्र कुमार जैन इसके अध्यक्ष हैं। यह आयोग हर साल अपने कार्यकलापों का प्रतिवेदन भी सरकार और विधानसभा को सौंपता है। अब आप ही बताइए कि क्या आपने कभी इस राज्य मानवाधिकार आयोग की आपबीती कहानी सुनी है और क्या आप इसी तरह राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लोकायुक्त, राज्य महिला आयोग अथवा किसी अन्य आयोग की करी-कराई से परिचित हैं? इस स्थिति का सीधा-सा कारण बस यही है कि राज्य व्यवस्था जग दिखाई के लिए, संस्था-दर-संस्था तो बनाती है, लेकिन उसका संरक्षण वह खुद कभी नहीं करती।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन इस संवेदनहीन वातावरण में समाजोन्मुख होकर जो मानवाधिकारों का जन शिक्षण अभियान चला रहे हैं, हम उसकी तारीफ में आज यही कुछ कहना चाहते हैं कि मानवाधिकार के प्रश्नों को आम जनता और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से प्रचारित-प्रसारित करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए। इसी अभियान के तहत न्यायमूर्ति नगेंद्र कुमार जैन ने अब तक कोई 32 लघु पुस्तिकाएं जन सहयोग से छपवाकर अधिकतर स्कूल-कॉलेजों में वितरित करवा दी हैं तथा आयोग से एक त्रैमासिक बुलेटिन भी जारी कर रखा है।

अभी हाल में न्यायमूर्ति जैन द्वारा लिखित और संकलित पुस्तक - 'मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार' को पढ़कर मुझे यह कहना पड़ता है कि पूरे देश के किसी राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस तरह जन शिक्षक की भूमिका अभी तक नहीं निभाई है। भले ही वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग की रचनात्मक सामाजिक कार्यकर्ता की कार्यशैली को शासन व्यवस्था न समझे, लेकिन मानवाधिकार को लेकर साहित्य का प्रकाशन राजस्थान के लिए एक ऐसा उल्लेखनीय प्रयास है, जो आने वाली युवा पीढ़ी को मानवाधिकारों के लिए जरूर प्रेरित करता रहेगा।

हम जानते हैं कि मानवाधिकार के लिए जारी जन संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी सभ्य समाज के निर्माण में मानवाधिकारों का सम्मान होना अनिवार्य है। राजस्थान में अरुणा राय का सूचना का अधिकार और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान भी इसी तरह जनता के बुनियादी अधिकारों को मजबूत करने का ही अभियान है। हमारा यह पूंजीवादी लोकतंत्र आज इसीलिए मानवाधिकारों की अनदेखी करता है, क्योंकि जनता के अधिकारों को मजबूत करने से न्याय, समता और अहिंसा का पक्ष मजबूत बनता है, जबकि, राज्य व्यवस्था प्रायः हिंसा और दमन से चलती है।

राजस्थान क्योंकि आज भी एक सामंतवादी और जातिवादी समाज है- इसीलिए यहाँ सत्ता और व्यवस्था का चरित्र भी शोषण और असमानता पर ही आधारित है तथा सारा खेल ताकत पर आधारित है। पूरी लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली ही यहाँ इस बात की गवाह है कि पुलिस केवल राजनीतिक सत्ता से डरती है तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। हमारे प्रदेश में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता आज इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं ही सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक उत्पीड़न का शिकार हैं तथा जनशिक्षण का उनमें अभाव है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने इसीलिए जनता के लिए और जनता के बीच और जनता के द्वारा मानवाधिकार तथा कर्तव्यों को- शिक्षण के विकल्प के रूप में चलाया है और राज्य व्यवस्था को याद दिलाया है कि लोकतंत्र की नींव के प्रहरी हमारे मानवाधिकार ही हैं।

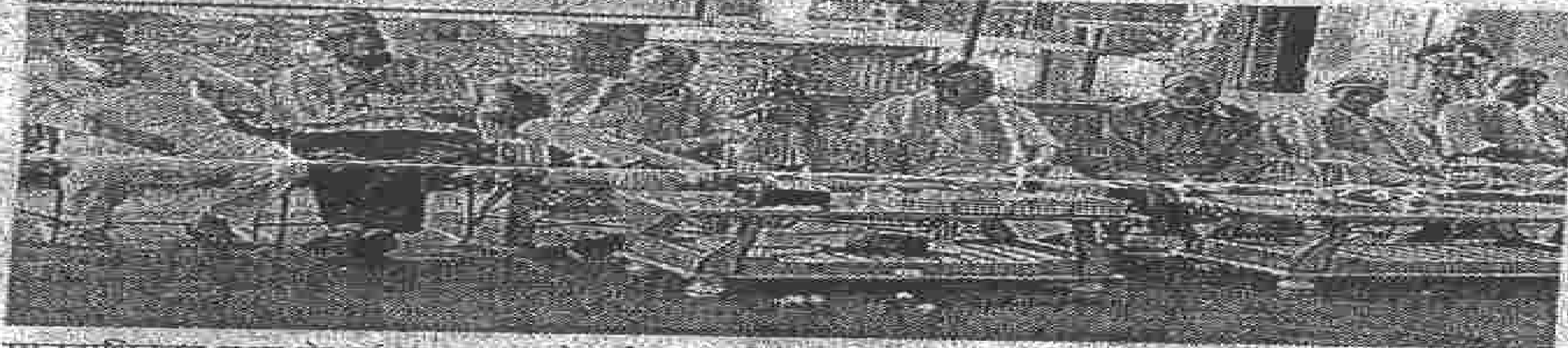

मानवाधिकार रक्षा के संकल्प समारोह में मंचासीन अतिथि। खमनोर

जागरूक रहें अधिकारों के प्रति

मानवाधिकार की रक्षा का संकल्प

एक संवाददाता

खमनोर, 10 मई। कर्नाटक व मद्रास के पूर्व न्यायाधीश व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन. के. जैन ने कहा कि आमजन अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें क्योंकि भारतीय संविधान सभी को समानता, स्वाभिमान व स्वावलम्बन के साथ जीवनयापन का अधिकार भी प्रदान करता है। वे रविवार को निकटवर्ती महाराणा प्रताप संग्रहालय में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की ओर से आयोजित मानवाधिकार रक्षा के संकल्प समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव के सभी अधिकारों की रक्षा करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए।

निर्भीक होकर करें शिकायत

उन्होंने कहा कि कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होता हो तो निर्भीक होकर आयोग से इसकी शिकायत करें। शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी को सोच बदलनी होगी तथा दूसरों के अधिकारों के प्रति भी सकारात्मक सोच रखनी होगी। कहीं भी हो, निर्भीक होकर शिकायत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख किशनलाल गमेती ने की। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी व संग्रहालय संस्थापक मोहनलाल श्रीमाली ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में खमनोर प्रधान पुरुषोत्तम माली, तेजसिंह बान्सी, ओंकार सिंह, संस्था सचिव उमेशचन्द्र शर्मा सहित अनेक अधिकारियों ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया।

पीड़ित को मिले जल्द राहत : जैन

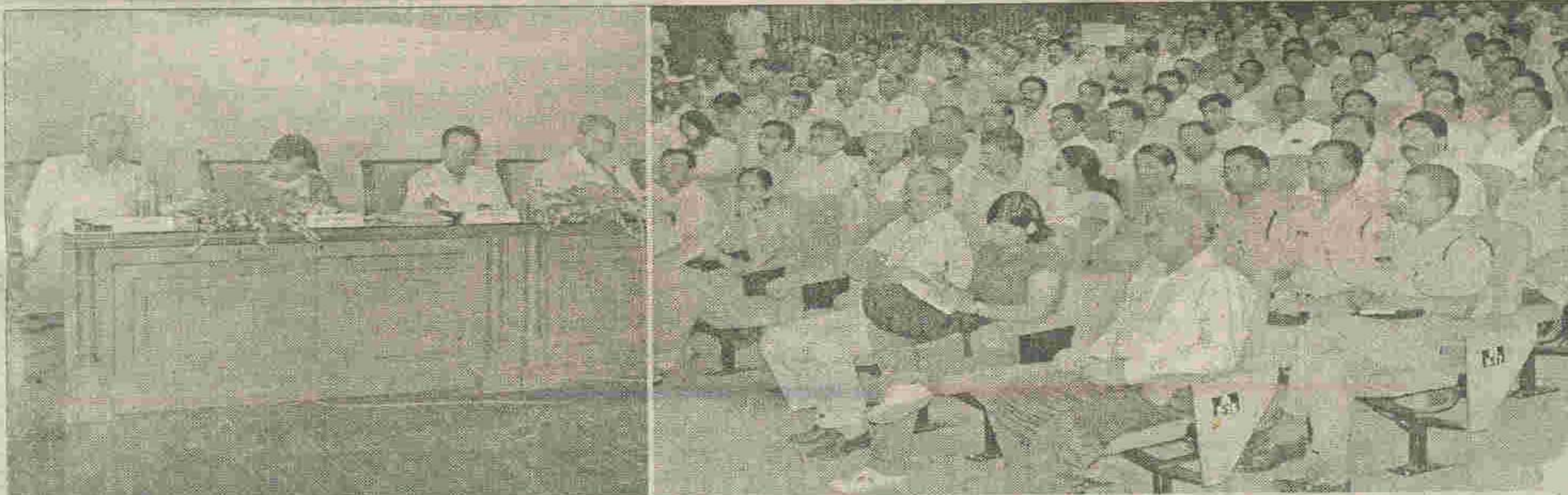

राजस्थान पुलिस की ओर से शनिवार को आरपीए के ऑडिटोरियम में आयोजित 'मानवाधिकार और पुलिस' विषयक संगोष्ठी में भाग लेते पुलिस अधिकारी और मानवाधिकार के अधिकारी।

मानवाधिकार एवं पुलिस पर आरपीए में हुई संगोष्ठी

जयपुर, (कासं.)। महानिदेश पुलिस राजस्थान के निर्देशानुसार अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय ने मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर एक संगोष्ठी राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में आयोजित की गई। संगोष्ठी में स्वागत भाषण देते हुए अति. महानिदेशक (अपराध), प्रदीप व्यास ने मानवाधिकार की अवधारणा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए। जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरन्त राहत मिल सके व उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। उन्होंने कहा कि पुलिस जेल व न्यायालय सभी प्रयत्नशील है। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि पहले की तुलना में पुलिस अधिकारियों के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है व थानों में परिवादियों की समस्याओं के निराकरण में तेजी आई है। पुलिस संरचना में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही प्रकार से नहीं करेगें तब तक सुधार संभव नहीं होगा। वहीं संगोष्ठी में पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस के सभी स्तरों, थाना स्तर व ग्राम सभा स्तर तक संवाद आयोजित करने की जरूरत बताते हुए कहा कि हमें यह आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने कहा कि मानवाधिकार सबसे ज्यादा पुलिस से जुड़े हुए हैं। आचार्य ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवेदनशील व प्रशिक्षित हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत सिपाहियों व बन्दियों के प्रहरियों के लिए इस प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करना ज्यादा जरूरी है। खुले सत्र में प्रतिभागियों ने अवैध मानवाधिकार संगठनों पर रोक लगाने, मानवाधिकार आयोग को और सक्षम बनाने, तहसील स्तर पर इस प्रकार के आयोजन किया जाना आवश्यक है। संगोष्ठी के समापन पर पुलिस महानिदेशक हरीशचन्द्र मीणा ने समस्त सुझावों पर अमल करने का विश्वास दिलाते हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। अन्त में महानिरीक्षक पुलिस मानवाधिकार एन. मोरिस बाबू ने संगोष्ठी में पधारे हुए अतिथियों, वक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, सीएलजी व शांति समिति के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस (कारागार), ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के.एस.बैंस) अति. महानिदेशक पुलिस, कपिल गर्ग, सुधीर प्रतापसिंह, भाष्कर चटर्जी, महानिरीक्षक पुलिस आलोक त्रिपाठी, रामफलसिंह, मेघवाल मीणा, बी.एल. सोनी व निदेशक आर.पी.ए. डॉ. भूपेन्द्र सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

थाना स्तर पर मिले राहत

मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर सेमिनार

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 26जून। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन ने कहा कि पुलिस को थाना स्तर पर ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिले व उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके।

वे पुलिस अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में शनिवार को अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय द्वारा मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर आयोजित सेमिनार को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पुलिस, जेल प्रशासन और न्यायालय मिलकर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हैं। पुलिस संरचना में आमूलचूल बदलाव की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूरी है।

वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकार सबसे ज्यादा पुलिस से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हैं परंतु सिपाहियों और बंदियों के प्रहरियों के लिए इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन जरूरी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. फारूखी ने कहा कि समाज में ज्यादातर कमजोर तबके के मानवाधिकारों का हनन होता है। पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता, पीयूसीएल की महासचिव कविता श्रीवास्तव और वरिष्ठ पत्रकार ईशमधु तलवार ने भी सेमिनार को संबोधित किया। सेमिनार के समापन पर पुलिस महानिदेशक हरीश चन्द्र मीना ने सभी सुझावों पर अमल करने का विश्वास दिलाया।

कार्यक्रम के अंत में महानिरीक्षक पुलिस (मानवाधिकार) एन. मोरिस बाबू ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों, वक्ताओं, अतिथियों, सीएलजी व शांति समिति के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस (कारागार) ओमेंद भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) केएस बैंस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कपिल गर्ग, सुधीर प्रताप सिंह, भास्कर चटर्जी, महानिरक्षक पुलिस आलोक त्रिपाठी, रामफल सिंह, मेघ चंद मीणा, बीएल सोनी एवं निदेशक आरपीए डॉ. भूपेन्द्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

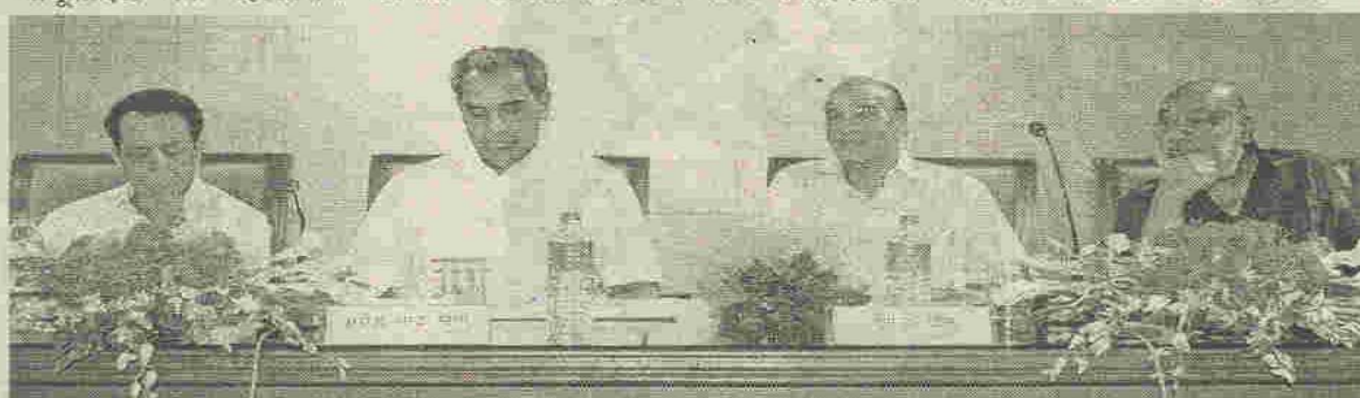

संगोष्ठी में मंचासीन अतिथि। प्र

Seminar on human rights and police

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: A seminar titled 'Human Rights and Police' was organised by the crime branch of the state police at Rajasthan Police Academy (RPA) on Saturday. In the seminar, which was attended by chairperson of State Human Rights Commission (SHRC) Justice A K Jain and DGP Harish Chandra Meena and NGO representatives, various aspects of human rights, their violation and police's duty to protect them were discussed.

A K Jain said a work culture should be developed at the level of police station to provide immediate relief to a victim and protect his rights . He expressed satisfaction over the fact that police officers' views about human rights have changed over the past few years and cases are being disposed of faster.

Former DGP Amitabh Gupta said the human rights of the criminals as well as the victims have to be protected. He said FIRs should be lodged in police stations promptly. At the end of the seminar DGP Meena assured everyone to consider suggestions given by the speakers.

'थानास्तर पर बदले कार्य संस्कृति'

जयपुर . मानवाधिकार का सबसे ज्यादा संबंध पुलिस से है। पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी जिससे पीड़ित को राहत मिले साथ ही उसके अधिकारों का संरक्षण हो। ये बात राजस्थान पुलिस अकादमी में शनिवार को मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर आयोजित सेमिनार में सामने आई। सेमिनार के मुख्य वक्ता राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन थे। सेमिनार में पूर्व पुलिस महानिदेशक अमिताभ गुप्ता , पुलिस महानिदेशक हरीश चन्द्र मीणा, महानिदेशक (जेल) ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा) के एस बैंस, अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) प्रदीप व्यास, अतिरिक्त महानिदेशक कपिल गर्ग, महानिरीक्षक (जयपुर रेंज प्रथम) बी एल सोनी व आरपीए के निदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

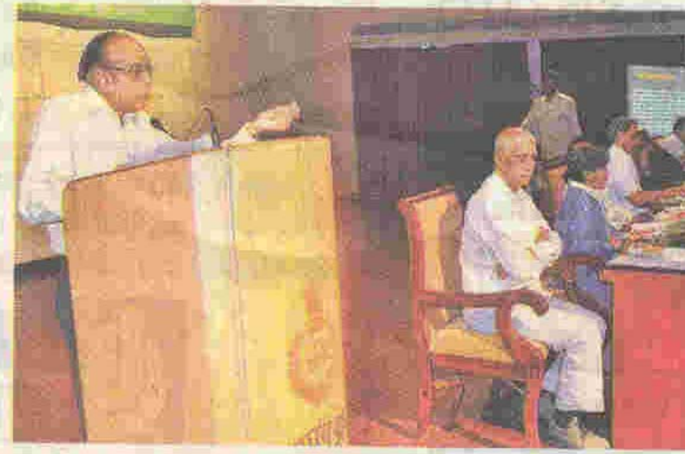

आरपीए सभागार में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते डॉ. एन.के. जैन।

मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर गोष्ठी

नगर संवाददाता. जयपुर

पूर्व डीजीपी अमिताभ गुप्ता ने मानवाधिकार को महज एक खानापूर्ति बताते हुए कहा कि सबसे पहले हमारी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ भी की गई तो इसमें मानवाधिकार को आड़े लाना हमारी कमजोरी होगी। वे राजस्थान पुलिस की ओर से नेहरू नगर स्थित आरपीए में शनिवार को आयोजित संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हम महज कुछ लोगों को लेकर मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, हमें मिलावटी दूध पिलाया जा रहा है, मिलावटी सामान खिलाया जा रहा है, ऐसे में कहां है हमारा मानवाधिकार? अगर पुलिस पूछताछ के लिए किसी को एक दिन के लिए बुला लेती है तो हम मानवाधिकार की बात करने लग जाते हैं, लेकिन थाने का सिपाही जिसे अपने परिवार से मिले हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है, उसके लिए मानवाधिकार की बात क्यों नहीं की जाती।

मानवाधिकार एवं पुलिस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि पुलिसकर्मियों को थाना स्तर पर ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिल सके और उसके अधिकारों का संरक्षण हो सके। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य, ईशमधु तलवार, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. फारुकी ने भी विचार व्यक्त किए।

प्राक्कथन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का इसके गठन से ही यह प्रयास रहा है कि राज्य की आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के साथ–साथ लोक सेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया जाये। यह सही है कि प्रत्येक नागरिक की मानवाधिकारों के हनन से बचाने के लिए यह आयोग बनाया गया है। अब तक राज्य के लोक सेवकों को यह सोच थी कि यह आयोग उन पर थोपा गया है, परन्तु आयोग द्वारा यह बताने पर कि यह आयोग कोई समानान्तर कोर्ट/सरकार नही है, अपितु यह तो लोक सेवकों से अपने–अपने कार्य निष्ठा और संवेदनशीलता से करने की अपेक्षा करता है और आयोग तो सुशासन में ही मददगार है। पिछले करीब 5 वर्षो के निरन्तर प्रयास से अब उनकी सोच में धीरे–धीरे बदलाव आ रहा है।

आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई के अलावा समय–समय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार–विमर्श किया जाकर आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि समृद्व लोग तो अपने अधिकारों की रक्षा करने एवं मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, किन्तु हमें हर वर्ग, खास तौर पर पीडित, दलित एवं कमजोर वर्ग के साथ–साथ बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। इसलिए हमें अहम् भाव नहीं रख कर सेवा भाव, मानवीय दृष्टिकोण, संवेदशीलता एवं सद्‌भावना से कार्य करना होगा।

विविध कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों के माध्यम से जागरूकता का लघु प्रयास किया गया। आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित की गई है, जो स्कूल लाइब्रेरीज में भेजी गई। यह भी खुशी की बात है कि कई स्कूलों में जीरो ऑवर के दौरान बच्चों को इन विषयों की जानकारी दी जा रही है। जिनमें से कुछ को पुनः प्रकाशित करवाया गया है। कई व्यक्तियों ने कुछ बुकलेट्स को आयोग की अनुमति से अपने प्रियजनों की याद में करीब 6000 पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करवाया। इसके अलावा अन्य बुकलेट्स जैसे–महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, *HIV AIDS, Human Rights* मानवाधिकार और कर्तव्य, मानवाधिकार व जैन धर्म, राज्य के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों द्वारा 80,000 पुस्तकों का प्रकाशन कर आमजन को निःशुल्क वितरित किया गया। इस पुनीत कार्य में उक्त संस्थाओं का प्रदेश के नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

यही बात हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना, लोगों की मूल भावना और लोकतंत्र की मंशा of the people, for the people, by the people के अनुरूप भी है, जिसमें देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ–साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिये चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा।

मानवाधिकारों के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल– 51ए की मंशा के अनुरूप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए आयोग द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत् कई स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प दोहराया जा रहा है। इसके अलावा आयोग की अपील पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, जयपुर नगर निगम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अपने कार्य के साथ–साथ इस जन जागरूकता कार्यक्रम में जुडकर लोगो को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से ही यह संकल्प दोहराना अनिवार्य होना चाहिए ताकि उनमें बाल्यावस्था से ही देश एवं संविधान के प्रति आदरभाव, मानवीय मूल्यों को समझने के संस्कार बनें। साथ ही, कर्तव्यों के प्रति समर्पिता की भावना जागृत हो। मेरे मतानुसार इस मुहिम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तथा सीबीएसई का योगदान बहुत महत्व रखता है। इसी क्रम में, लगभग 95 संस्थाओं द्वारा इस प्रारूप के 80000 से ज्यादा कलेण्डर्स और 50000 के करीब पेम्पलेट्स छपवा कर राज्य भर में अपने कार्यक्रमों के दौरान बंटवाये व कुछ संस्थाओं ने करीब 4000 व्यक्तियों को ई–मेल भेजकर इस अभियान में सहयोग कर आयोग को अवगत कराया है। आयोग उनके इस कार्य की भूरि–भूरि प्रशंसा करता है। आयोग द्वारा प्रकाशित 'त्रैमासिक न्यूज लेटर' के माध्यम से भी आयोग के कार्यकलापों को अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। 18 लघु पुस्तिकाऐं दिशा–निर्देश व अन्य गतिविधियों की एक कन्सोलिडेटेड किताब "मानवीय मूल्य, कर्तव्य एवं अधिकार" विभिन्न स्कूलों कॉलेजों व विश्वविद्यलयों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। विगत करीब पांच वर्षो में आयोग द्वारा 16 न्यूजलेटर्स के अंक प्रकाशित करवाये जा चुके है। आयोग ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 7 (दो पूर्व के वर्षो सहित) वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार प्रेषित किए हैं।

इसके अलावा विभिन्न लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी के 40 छात्र–छात्राओं ने आयोग में इन्टर्नशिप के दौरान अपने–अपने विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए। उनके द्वारा प्रोजेक्ट विभिन्न विषयों पर word files तैयार की। कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालको के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बाल श्रम, पर्यावरण, रेगिंग, वूमेन ट्रेफिकिंग, कैंसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल जस्टिस, फीमेल फॉर्टीसाइट, आर्टिकल–51ए, आयोग, आयोग की गतिविधियों व दिशा–निर्देश आदि पर पॉवर पाइंट प्रोजेक्ट्स तैयार किये। आयोग ने 14 विषय की (Consolidated) सी.डी. व फिर 7 विषयों की (Consolidated) सी.डी. तैयार की। विद्यार्थियों की अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सी.डी. सम्बन्धित लॉ कॉलेज/यूनिवर्सिटी में दिखाई जा रही हैं। साथ में करीब 23 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई (Consolidated) सी0डी0 का अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों को अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण सहयोग दिया जा रहा है, प्रशंसनीय है।

आयोग को पूर्ण विश्वास है कि इस तरह के प्रचार प्रसार से ground realties की जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों तथा लोक सेवकों के साथ–साथ आमजन में भी नैतिकता व अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण एवं देश के प्रति त्याग की भावना का अधिक से अधिक विकास होगा।

मेरा मानना है कि सिर्फ सरकार, कानून बनाने व कानूनी प्रक्रिया से ही यह सब संभव नहीं है। इसलिए सरकार की दृढ इच्छाशक्ति और आम जनता को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण क्षमता और निष्ठा के साथ कर हम सबको सहयोग देते हुए कार्य करना होगा।

आयोग में पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवाद प्राप्त हुए। जिनमें से 16050 के लगभग परिवादों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकाल कर निस्तारण किया गया। इस वर्ष 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया गया व 31.3.2010 को 537 शेष रहे। वेसे नये, पुनः सुनवाई व पुराने 921 शेष परिवाद आयोग के समक्ष लम्बित हैं। अबतक लगभग 200 दिशा–निर्देशों में से राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागो ने करीब 160 मामलों में कियांन्विति कर आयोग को सूचित किया। परन्तु शेष व *Recurring Cause of Action* वाले मामले बाकी हैं। कल्याणकारी राज्य में कार्यरत सभी लोक सेवकों की जिम्मेदारी है कि वो आमजन के मानवाधिकारों हनन को रोकने में तत्परता से सहयोग दें, संवेदनशीलता रख आमजन की समस्याओं का निराकरण कर सुशासन प्रदान करें।

लोकतंत्र में मिडिया की भूमिका का भी बहुत महत्व है। अतः आयोग मिडिया से भी जनसाधारण में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने हेतु अधिकाधिक सहयोग की अपेक्षा करता है।

अतः सरकार के साथ–साथ सभी वर्ग के लोगों से मानवाधिकार आयोग की अपेक्षा है कि वे मानवाधिकारों का संरक्षण करें,। यह किसी का अधिकार है तो किसी का कर्तव्य। दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी और तभी हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक होंगे।

अंत में, मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन व जागरूकता के कार्यक्रम में सभी महानुभाव बंधुओं के सहयोग व योगदान के साथ–साथ राज्य सरकार व सभी विभागों, आयोग के माननीय सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों, सभी संस्थाओं एवं पत्रकार बंधुओं का मैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से तहेदिल से आभार प्रकट करता हूँ।

"अधिकारों के प्रति जागरूक रहो – कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।"

– न्यायमूर्ति एन0के0 जैन
अध्यक्ष

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों का उनके नियमित कार्यो की निरन्तर मोनिटरिंग करने बाबत् निर्देश

आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जैसे– मंदबुद्वि व्यक्तियों के ईलाज, पर्यावरण सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा भूख व कुपोषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने आदि। साथ ही, असहाय, मंदबुद्धि, मनोरोगी, निःशक्तजन एवं लावारिस लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा के लिए भी कोई योजना बनाने और जब तक सुचारू योजना लागू ना हो, ऐसे पीडितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत् उन्हें लाभांवित करने। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौत की एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स के प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब तथा आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शहरों में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई समय पर कराने, विभिन्न विभागों द्वारा सडकों की खुदाई व शीघ्र मरम्मत के लिए आपसी समन्वय, अतिक्रमणों की रोकथाम के साथ–साथ शहर में पार्किंग व्यवस्था सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने, विवाह स्थलों पर सफाई एवं पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था, लोकमित्र मे बिलों की जमा की प्राप्ति रसीद साफ व गहरी प्रिंटिंग वाली देने, जन सुविधा केन्द्र बनाने, पॉलिथिन की थैलियों के प्रयोग पर रोकथाम, मेलों में मानवाधिकारों की जानकारी आदि के लिए भी समय–समय पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी अस्पतालों में मशीनों एवं उपकरणों की समय पर मरम्मत व रख–रखाव करने, एच0आई0वी0 पीडित/ किडनी पेशेन्ट के ईलाज, कैंसर पीडित के लिए सोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जेलों में बंदियों को नियमानुसार दिए जाने वाली सुविधाऐं सुनिश्चित करने, बहुमंजिला भवनों में पार्किंग सुविधा, बिजली के खुले एवं नंगे तारों तथा ट्रांस्फारमर को सुव्यस्थित करने, आवारा पशुओं को आम रास्तों व सडकों से हटाने, पेंशनर्स को समय पर ईलाज व दवाईयां मुहैया कराने, मासूम छोटे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने, स्कूलों का समय तर्कसंगत करने, स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय की माकूल व्यवस्था करने और बच्चों को लाने–लेजाने वाले ऑटो– टेम्पों, वैन आदि में बच्चों को जगह से कहीं अधिक मात्रा में नहीं भरकर ले जाने की सुव्यवस्था, इसके अलावा कई अन्य तथा कठपूतली नगर ज्योति नगर में रहने वाले व कठपूतली का तमाशा दिखाने में कार्यरत लोगों के लिए कठपूतली ग्राम बनाने पर विचार करने, बूस्टरों का अवैध प्रयोग रोकने, के सम्बन्ध में निर्देश दिए है।

इसके अलावा आयोग के आदेशों की अनुपालना में महानिदेशक (पुलिस) के द्वारा दिए गये दिशा– निर्देशों के बावजूद पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाने की शिकायतें पर अन्य संस्थाऐं बिला वजह अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट आयोग को परिवाद के रूप में भेजती है। इसलिए पुलिस का यह दायित्व है कि वह परिवादी की शिकायत पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर, निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान करें। पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अच्छा सलूक करने तथा जिला एवं पंचायत स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी आयोग ने समय–समय पर विभिन्न परिवादों में निर्देश जारी किए, साथ में लोगों से यही अपेक्षा की है कि मानव अधिकारों के संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार है, तो किसी का कर्तव्य, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। सुशासन के लिए अधिकारीगण से अपेक्षा की है कि वह जनहित में कार्य करें, लोक सेवकों के साथ–साथ यह आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग देवें जिससे काम में पारदिर्शता व संवेदनशीलता बनी रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो तथा निरन्तरता के लिए मोनिटरिंग करते रहे।

"It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."

"There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"

- Mahatma Gandhi

Bibliography

YAHOO! INDIA

Google™

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
सर्वे भवन्तु सुखिनः
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

WIKIPEDIA

Thank You